कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना मध्यप्रदेश

क्रमांक/126/राहत/न.क्र.–36/2017 पन्ना, दिनांक 19 जून 2017

द्वितीय निविदा आंमत्रण सूचना

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 92–94/राहत/न.क.–36/2017 पन्ना दिनांक 30 मई 2017 के अनुसार बाढ राहत बचाव सामग्री क्रय हेतु खुली निविदा दिनांक 12 जून 2017 समय 04.00 बजे तक आंमत्रित की गई थी। निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की **अन्तिम तिथि 22.06.2017 एवं समय अपरान्ह 04.00 बजे तक है।** क्रय की जाने वाली सामग्री, उनकी शर्ते /निविदा आंमत्रण सूचना व अन्य जानकारी जिले की वेबसाइट panna.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

क्रय की जाने वाली सामग्री का नाम

स.क.	नाम सामग्री	तादाद	अनुमानित मूल्य प्रतिनग
1	गैस मास्क	10 (दस नग)	300.00
2	ड्रेगन टार्च	10 (दस नग)	500.00
3	हैण्ड फ्री टार्च	40 (चालीस नग)	1000.00
4	ड्रेस टी–शर्ट सादा नं. 36, 38, 40	50 (पचास नग)	300.00
5	ड्रेस टी–शर्ट कस्टयूम (चड्डी)	50 (पचास नग)	3000.00
6	गमबूट 8 नम्बर	40 (चालीस नग)	1000.00
7	स्नेक केचर स्ट्रिक 5 फीट	50 (पचास नग)	3000.00
8	नेट (जाल) 15X30 फीट	12 (बारह)	15000.00
9	स्ट्रेचर फायवर साईज 6 फीट	10 (दस नग)	5000.00
10	पेट्रोल हेतु केन 25 लीटर वाली	12 (बारह नग)	400.00
11	रस्सी नायलॉन	27 नग (1इंच मोटी+ 30 मीटर लम्बी)	3000.00

–:निविदा की शर्ते :–

1 निविदा दिनांक 21 जून 2017 को अपरान्ह 5.00 बजे तक कलेक्ट्रेट पन्ना में निविदाकार अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

2.. निविदाकर्ता को सामग्री सप्लाई करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव व फर्म का रजिस्ट्रेशन एवं टिन नम्बर होना अनिवार्य होगा ।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा परिवर्तित हो सकती है।

4 प्रत्येक आइटम्स के लिये एक इकाई के लिये दरों को उद्धृत किया जाना चाहिये।

5 पन्ना तक टैक्स और डिलेवरी प्रभारों के साथ सभी दरें सम्मिलित होगीं।

6. प्रदाय की गई सामग्री की आवश्यक जांच उपरांत गुणवत्ता सही पाये जाने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

7. प्रदाय की गई समस्त सामग्री का एक वर्ष तक मेन्टेन्स करना निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी अन्यथा स्थिति में अमानत राशि जप्त की जा सकेगी ।

8 किसी भी सामग्री की एक समान दर होने पर प्रदायकर्ता फर्म की मानक स्टैण्डर्ड के आधार पर कलेक्टर स्वीकृति के लिये स्वतंत्र होगें।

9 निविदा के साथ दस हजार प्रतिभूति की राशि डी.डी. कलेक्टर पन्ना के नाम से अमानत राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा ।

10 निविदा स्वीकार करने या न करने का पूर्ण एवं अन्तिम अधिकार कलेक्टर पन्ना को होगा।

11. निविदा में उल्लेखित समयसीमा के पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

12. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का केटलॉग तथा स्पेसिफिकेशन संलग्न करना आवश्यक होगा । निविदा प्रस्तुत करते समय प्रदान की जाने वाली सामग्री का सेम्पल भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13 किसी भी विवाद की स्थिति में पन्ना जिले के अंतर्गत ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

14 निविदा स्वीकृत किये जाने के अधिकतम सात दिवस के अन्दर सम्पूर्ण सामग्री प्रदान करना अनिवार्य होगा।

15. म.प्र.भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में वर्णित प्रकिया का पालन करना होगा एवं उक्त नियम में वर्णित सभी शर्ते मान्य करना होगी ।

कलेक्टर
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/12/राहत शाखा/न.क्र.–36/2017 पन्ना, दिनांक 14 जून 2017

प्रतिलिपिः–

1– राहत आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल अरेरा हिल्स भोपाल ।

2– आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल । कृपया उक्त निविदा का प्रकाशन प्रमुख स्थानीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।

3– महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर।

4– कमिश्नर सागर संभाग सागर।

5– सहायक संचालक जनसंपर्क पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6– कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड चस्पा दें।

कलेक्टर
जिला पन्ना मध्यप्रदेश